मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

उच्च शिक्षा विभाग | दिनांक: 30-11-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1569	तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.1551) दि. 30-11-2017 (श्री गोवर्धन उपाध्याय)	शासकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय सिरोंज जिला विदिशा में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री शिवकुमार भार्गव के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने से नियमानुसार पद से हटाया जाना।	पद से हटाने की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।		
1570	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.39 (प्रश्न क्रं.625) दि. 30-11-2017 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	सीहोर जिले के शासकीय महाविद्यालय इछावर में बी.एस.सी.एवं अन्य संकाय प्रारम्भ किया जाना।	जी हां, प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

ऊर्जा विभाग

दिनांक: 30-11-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1571	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.338) दि. 30-11-2017 (पं. रमेश दुबे)	छिन्दवाड़ा जिले चौरई एवं बिछुआ विकास खंड अन्तर्गत रंगारी और रामाकोना डी.सी.से पनियारी मोहवानी वनग्राम टेकापार सहित अनेक ग्रामों में विद्युत प्रवाह व्यवस्था बंद होने एवं मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना के तहत निजी विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कपुर्दा डी.सी.के जेई श्री ओंमकार पाण्डे को जमा कराई राशि की रसीद न दिये जाने की जांच. आरोपी अधिकारी को हटाकर जांच की जाना एवं जॉच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	(1) हम उसकी जांच करवा लेंगे। (2) माननीय सदस्य यह कह रहे हैं, तो उनको हटाकर भी जांच कराने में हमको कोई प्रॉबलम नहीं है। हम जांच करवा लेंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

खनिज साधन विभाग

दिनांक: 30-11-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1572	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.29 (प्रश्न क्र.480) दि. 30-11-2017 (श्री मानवेन्द्र सिंह)	छतरपुर जिले में मेसर्स डिजियाना कंपनी द्वारा अवैध रूप से खनिज उत्खनन किये जाने के संबंध में दिनांक 24.10.2017 को आजाद शक्ति सेना संगठन द्वारा की गई शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त अनुशंसा अनुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।		
1573	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.65 (प्रश्न क्र.1065) दि. 30-11-2017 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिले की तहसील मझोली के ग्राम मोहला एवं तहसील पाटन के ग्राम भिडकी में स्वीकृत छुई खदान/खदान में निर्धारित मापदण्डों का पालन मनमाने तरीके से उत्खनन करने वाले पट्टेधारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	पट्टेधारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी है। प्राप्त उत्तर के परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।		
1574	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.88 (प्रश्न क्र.1338) दि. 30-11-2017 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	सतना जिले के थाना कोलगवां अन्तर्गत ग्राम रामस्थान में स्वीकृत 80 एकड़ लीज क्षेत्र से बाहर जाकर अ.जा./अ.जन.जाति.वर्ग को आवंटित जमीन (निष्कान संपत्ति) को लीजधारक द्वारा अवैध रूप से क्रय कर खनिज उत्खनन एवं परिवहन किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	(1) जी हॉं। (2) संपूर्ण बिन्दुओं पर कलेक्टर सतना द्वारा आदेश दिनांक 08.11.2017 से जांच दल का गठन किया गया है। जांच दल प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।		
1575	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.107 (प्रश्न क्र.1485) दि. 30-11-2017 (श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर)	खरगोन जिले की तहसील झिरन्या के ग्राम गवला में पट्टाधरी द्वारा सक्षम स्वीकृति के बिना ब्लास्टिंग कर उत्खनन किये जाने की जांच एवं नियमानुसार पट्टाधारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	पट्टेधारी को जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब 30 दिवस में दिया जाना है। जवाब प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

खेल और युवा कल्याण विभाग

दिनांक: 30-11-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1576	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.126 (प्रश्न क्रं.1671) दि. 30-11-2017 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के इंदिरा गांधी स्टेडियम लहार के क्षतिग्रस्त होने का परीक्षण कराया जाकर मरम्मत कराई जाना।	इंदिरा गांधी स्टेडियम लहार के क्षतिग्रस्त होने का परीक्षण कराया जा रहा है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग | दिनांक: 30-11-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1577	अतारांकित प्रश्न सं.76 (प्रश्न क्रं.1057) दि. 30-11-2017 (श्री तरूण भनोत)	जबलपुर स्थित भैरव बाबा बाजनागढ़ तांत्रिक मंदिर को शासन के आधिपत्य में लेकर सार्वजनिक ट्रस्ट गठन की कार्यवाही समय सीमा में की जाना।	सार्वजनिक ट्रस्ट गठन की कार्यवाही प्रचलित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

दिनांक: 30-11-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1578	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.54) दि. 30-11-2017 (श्री बाबूलाल गौर)	भोपाल एवं इंदौर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना एवं तय समय-सीमा में परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाना तथा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विशेष सलाहकार नियुक्त किया जाना।	(1) भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। (2) विभाग द्वारा मेट्रो रेल परियोजना का कार्य वर्ष 2017-18 में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। (3) श्री ई.श्रीधरन को विशेष सलाहकार के रूप में मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉ.लिमिटेड को सेवाएं देने का अनुरोध किया जाएगा।		
1579	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.219) दि. 30-11-2017 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	(1) अता.प्र.क्र. 287 दिनांक 20.7.17 के संदर्भ में नगर निगम कटनी द्वारा रोड़ चौड़ीकरण का कार्य बस स्टेण्ड से म.प्र. प्रेस तक एवं म.प्र. प्रेस से कुठला तिराहा तक ठेकेदार द्वारा अनुबंध के अनुसार किये जाने के पश्चात् जमा सुरक्षा निधि की राशि एवं अन्य का भुगतान नहीं किये जाने की जांच एवं कार्यवाही। (2) प्रश्न क्र. 281 दिनांक 20.7.17 के संदर्भ में ठेकेदार द्वारा दिये गये अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराया जाना।	(1) कार्य में जमा सुरक्षा निधि की राशि हेतु कार्यवाही की जा रही है। (2) निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। (3) प्रकरण में जांच के आदेश दिए जा रहे है एवं जांच के परिणामों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जा सकेगी। (4) आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी को कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये है।		
1580	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.22 (प्रश्न क्रं.349) दि. 30-11-2017 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	जैन महावीर कीर्ति स्तम्भ भिण्ड को धार्मिक प्रयोजन हेतु सर्वे क्र. 324 एवं 325 जमीन हस्तांतरण किया जाना।	(1) जी हां, उत्तरांश (क) के अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। (2) कलेक्टर जिला-भिण्ड से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
1581	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.50 (प्रश्न क्रं.829) दि. 30-11-2017 (श्री रामलाल रौतेल)	नगर पालिका अनूपपुर सीमा क्षेत्र में शहरी आवास योजना अंतर्गत शेष हितग्राहियों को आवास का लाभ दिया जाना।	शेष की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1582	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.53 (प्रश्न क्रं.909) दि. 30-11-2017 (श्री जतन उईके)	छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्णा शहर की पेयजल व्यवस्था हेतु कामठीकलां जलाशय निर्माण किया जाना।	कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कर ली गई है, जो विचाराधीन हैं।		
1583	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.81 (प्रश्न क्रं.1245) दि. 30-11-2017 (श्री जतन उईके)	प्रश्न क्रमांक 1531 दिनांक 24 फरवरी 2015 के संदर्भ में गोविन्दपुरा भोपाल स्थित प्रकाश गृह निर्माण सहकारी समिति के भू-खण्ड क्रमांक 10 पर निर्मित भवन अनुज्ञा निरस्त किये जाने एवं भवन स्वामी के साथ नगर निगम भोपाल द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष समझौता किये जाने के बावजूद फ्रंट एम.ओ.एस. अवैध निर्माण एवं व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने तथा संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया जाना।	अवैध निर्माणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत समझौता प्रकरण का परीक्षण किया गया व उनको निर्देशित किया गया है कि फ्रंट एम.ओ.एस. अवैध निर्माण को हटावें तथा व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करें। पुन: स्मरण पत्र दिनांक 12.8.17 को दिया गया परतु आवेदक ने संशोधित मानचित्र पत्र प्रस्तुत नहीं किये व फ्रंट एम.ओ.एस. का निर्माण कार्य नहीं हटाया गया। जिसके कारण न्यायालय के निर्णय समझौता की कार्यवाही नहीं हो सकी। संबंधित को अंतिम अवसर प्रदान किया गया है कि फ्रंट एम.ओ.एस. से निर्माण हटा लें तथा संशोधित मानचित्र पत्र प्रस्तुत करें।		
1584	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.89 (प्रश्न क्रं.1339) दि. 30-11-2017 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	सतना जिले की नगर परिषद कोटर में मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत डी.पी.आर. बनाने के नाम पर 2.50 लाख की फर्जी भुगतान किये जाने की जांच एवं कार्यवाही तथा नगर परिषद कोटर में भ्रष्टाचार व अनियमितता किये जाने के संबंध में दिनांक 18.9.17 कलेक्टर सतना को दिये गये ज्ञापन/शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	(1) प्रकरण की जांच हेतु कलेक्टर जिला सतना द्वारा जांच समिति गठित की गई है। जांच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। (2) जी हां, कलेक्टर जिला सतना द्वारा प्राप्त ज्ञापन पर प्रकरण की जांच के लिये समिति गठित कर जांच कराई गई है।		
1585	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.135 (प्रश्न क्रं.1734) दि. 30-11-2017 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	प्रश्न क्र. 4656 दिनांक 07.03.17 के संदर्भ में उज्जैन जिले की महिदपुर वि.स. क्षेत्र में सार्थक बिल्डर्स द्वारा नियमानुसार बंधक भू-खण्ड गरीब वर्ग को विक्रय नहीं किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	(1) निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) वरिष्ठ जिला पंजीयक के निर्णय अनुसार म.प्र. नगरपालिका कॉलोनाईजर (रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		
1586	अतारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.78) दि. 30-11-2017 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	प्रश्न क्र. 1594, 20 जुलाई 2017 के संदर्भ में रतलाम जिले की नगरपालिका परिषद् जावरा में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि से विकास कार्य हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराकर कार्य प्रारंभ किया जाना।	नगर पालिका परिषद जावरा द्वारा डी.पी.आर. तैयार कराने की एजेंसी के लिए निविदा जारी की गई है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देश एवं कार्यों की प्राथमिकता के निर्धारण अनुसार निकाय द्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत करने पर सक्षम स्वीकृति दी जा सकेगी।		
1587	अतारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.128) दि. 30-11-2017 (श्री कालुसिंह ठाकुर)	धार जिले के नगर परिषद माण्डव में तालाब निर्माण की राशि का अनियमित भुगतान किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य एवं अन्य के द्वारा कलेक्टर धार को दिनांक 31.07.2017 को लिखे गये पत्र/शिकायतों में उल्लेखित बिन्दुओं की जांच एवं कार्यवाही।	प्रकरण की जांच उपरांत दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1588	अतारांकित प्रश्न सं.18 (प्रश्न क्रं.233) दि. 30-11-2017 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 14.08.2017 एवं दिनांक 24.10.2017 को आयुक्त, नगरीय प्रशासन को लिखे गये पत्रों में उल्लेखित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाना एवं विधान सभा में त्रुटि पूर्ण जानकारी प्रेषित करने के लिये दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	संचालनालय की स्थापना शाखा के कार्यालय अधीक्षक एवं सहायक संचालक को विधानसभा में त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रेषित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।		
1589	अतारांकित प्रश्न सं.53 (प्रश्न क्रं.721) दि. 30-11-2017 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले की नगर परिषद राहतगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत द्वितीय चरण में 255 हितग्राहियों को लाभांवित किये जाने हेतु परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार को शीघ्र भेजा जाना।	भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु परीक्षणाधीन है।		
1590	अतारांकित प्रश्न सं.58 (प्रश्न क्रं.785) दि. 30-11-2017 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	सागर जिले की नगर पालिका परिषद् मकरोनिया बुजुर्ग की परिषद सम्मेलन बैठक के पारित प्रस्तावों में से शेष बचे 50 प्रस्तावों पर कार्यवाही शीघ्र किया जाना।	शेष बचे 50 प्रस्तावों पर कार्यवाही प्रचलन में है।		
1591	अतारांकित प्रश्न सं.69 (प्रश्न क्रं.950) दि. 30-11-2017 (श्री कालुसिंह ठाकुर)	धार जिले की नगर परिषद माण्डव में तालाब निर्माण की राशि का अनियमित भुगतान किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य एवं अन्य के द्वारा कलेक्टर धार को दिनांक 31.07.2017 को लिखे गये पत्र/शिकायतों में उल्लेखित बिन्दुओं की जांच एवं कार्यवाही।	शिकायत की जांच हेतु कलेक्टर धार के द्वारा जांच समिति का गठन कर जांच किये जाने के आदेश दिए गए हैं। प्रकरण की जांच उपरांत दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।		
1592	अतारांकित प्रश्न सं.99 (प्रश्न क्रं.1393) दि. 30-11-2017 (श्री नारायण सिंह पँवार)	ब्यावरा नगर जिला राजगढ़ में ऑडीटोरियम निर्माण हेतु शीघ्र निविदा आंमत्रण की कार्यवाही पूर्ण कर कार्य प्रारंभ किया जाना।	(1) जी हाँ। (2) जी हाँ। (3) निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलित है। (4) एक माह की समय-सीमा में निविदाएं आमंत्रित की जाएगी।		
1593	अतारांकित प्रश्न सं.133 (प्रश्न क्रं.1685) दि. 30-11-2017 (श्रीमती शीला त्यागी)	नगर परिषद मनगवां, जिला रीवा में जल आवर्धन प्रदाय योजना अन्तर्गत वर्ष 2000-05 में निर्मित पानी की टंकी से जल प्रदाय नहीं किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	(1) उत्तरांश (ख) के संदर्भ में पानी की टंकी का संचालन न होने तथा प्रभार आधिपत्य में न लेने देने के विषय पर उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु जांच के आदेश दिये गये है। जांच के परिणामों के आधार पर उत्तरदायित्व निर्धारण किया जा सकेगा। (2) जांच के परिणामों के आधार पर उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जाकर टंकी से पानी संचालित किए जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1594	अतारांकित प्रश्न सं.141 (प्रश्न क्रं.1739) दि. 30-11-2017 (श्री कमलेश शाह)	बैतूल एवं उज्जैन जिले में कॉलोनाईजरों द्वारा गरीब व कमजोर वर्ग के लिये नियमानुसार भूमि आरक्षित नहीं करने एवं आश्रय शुल्क जमा नहीं करने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	नगरपालिका बैतूल सीमा अंतर्गत एक कॉलोनाईजर की मृत्यु होने के कारण शेष तीन कॉलोनाईजरों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही प्रचलित है। उज्जैन जिले के अंतर्गत खाचरौद अनुविभाग में छाजेड़ बिल्डर्स के विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी खाचरौद को पत्र जारी किया गया है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक: 30-11-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1595	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्र.141) दि. 30-11-2017 (श्री कुँवरजी कोठार)	राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों एवं सचिवों पर धारा 92 के अंतर्गत दर्ज वसूली प्रकरणों में समय-सीमा में कार्यवाही की जाना एवं विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना।	(1) सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 48 ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों एवं सचिवों पर धारा 92 के अंतर्गत वसूली प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रचलित है। (2) अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सारंगपुर तथा सरपंच/सचिव को निर्देशित किया गया है।		
1596	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.78 (प्रश्न क्र.1193) दि. 30-11-2017 (श्री रामनिवास रावत)	विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 2017 तक बी.आर.जी.एक योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य अनुबंध के अनुसार न कराये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	प्रश्नाधीन जांच कराकर कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाना प्रतिवेदित है।		
1597	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.122 (प्रश्न क्र.1653) दि. 30-11-2017 (पं. रमेश दुबे)	छिंदवाड़ा जिले के विकासखण्ड बिछुआ एवं चौरई में मनरेगा मद से शौचालय निर्माण करने वाले हितग्राहियों को बकाया राशि का भुगतान किया जाना।	04 हितग्राहियों की भुगतान प्रक्रिया प्रचलन में है एवं 222 हितग्राहियों को सामग्री का भुगतान शेष है।		
1598	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.125 (प्रश्न क्र.1669) दि. 30-11-2017 (डॉ. गोविन्द सिंह)	अता.प्र.क्र. 621 दिनांक 20.7.2017 के संदर्भ में श्री रामाकांत उपाध्याय पंचायत समन्वय अधिकारी, जिला पंचायत भिण्ड के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण की जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	विभागीय जांच 3 माह में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।		
1599	अतारांकित प्रश्न सं.30 (प्रश्न क्र.410) दि. 30-11-2017 (श्री सुखेन्द्र सिंह)	रीवा जिले की जनपद पंचायत मऊगंज के ग्राम पंचायत पिपरा में एस.जी.आर.वाई. योजना अंतर्गत सतखरा तालाब से ट्रांसफार्मर तक पहुँच मार्ग चक्की से रंगलाल के घर तक एवं विश्वनाथ सोनी के घर से श्याम भूषण द्विवेदी के घर तक मुरमीकरण पाईप पुल निर्माण आदि में आर्थिक अनियमितता किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1600	अतारांकित प्रश्न सं.127 (प्रश्न क्रं.1657) दि. 30-11-2017 (पं. रमेश दुबे)	जिला छिंदवाड़ा के ग्राम मडुआढाना, ग्राम पंचायत घनोरा को ग्राम पंचायत हिवरखेड़ी में शामिल किया जाना।	(1) ग्राम मडुआढाना को ग्राम पंचायत हिवरखेड़ी में शामिल करने हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 125 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत (सीमाओं का परिवर्तन, मुख्यालयों का विस्थापन या बदला जाना) नियम, 1994 के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) उत्तरांश (ग) अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1601	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.322) दि. 30-11-2017 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	मुरैना जिले की जनपद पंचायत कोलारस में मनरेगा योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण एवं चैक डेम निर्माण कार्य में सहायक यंत्री द्वारा नियमों का उल्लंघन किये जाने की जांच सहायक यंत्री को हटाकर की जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) माननीय विधायक जी ने जिस असिसटेंट इंजीनियर के बारे में कहा है, उसकी सात दिवस के अंदर, उसके बारे में उसके पिछले कामों के बारे में पूरी जानकारी लेकर, उसका भौतिक सत्यापन करके और जैसा कि बताया गया है तकनीकी स्वीकृतियों में भी गड़बड़ी हुई हैं। उसकी सारी रिपोर्ट तैयार करके, जो कुछ भी उसके निष्कर्ष होंगे, उसके आधार पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। (2) उस अधिकारी को संभागीय मुख्यालय में अटैच करके सात दिन में जांच करके कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

दिनांक: 30-11-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1602	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.178) दि. 30-11-2017 (श्री जितेन्द्र गेहलोत)	उज्जैन संभाग में निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण किया जाना ।	(1) सभी अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ कराने हेतु नोटिस जारी किये गये है । साथ ही आयुक्त, संभाग उज्जैन द्वारा अपूर्ण/अप्रारंभ कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है । (2) 31.3.2018 तक कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास किया जावेगा ।		
1603	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.24 (प्रश्न क्रं.378) दि. 30-11-2017 (श्री प्रदीप अग्रवाल)	दतिया जिले की विधानसभा क्षेत्र सेंवढ़ा में निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत/विधायक निधि से स्वीकृत अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण किया जाना एवं अपूर्ण/अप्रारंभ को प्रारंभ नहीं करने के लिए जिम्मेदार सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाना ।	(1) कार्य अपूर्ण एवं अप्रारंभ रहने के लिये सरपंच एवं सचिव जिम्मेदार है । उनको कार्य पूर्ण करने/प्रारंभ करने हेतु नोटिस जारी किये गये है । (2) अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों को तत्काल पूर्ण कराये जाने हेतु आदेशित किया गया है ।		
1604	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.72 (प्रश्न क्रं.1154) दि. 30-11-2017 (श्री आरिफ अकील)	केन्द्र सरकार से बुंदेलखण्ड के विकास हेतु प्राप्त बुंदेलखण्ड पैकेज की राशि का दुरूपयोग किये जाने की जांच समय-सीमा में की जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जाना ।	मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) द्वारा जांच की जा रही है ।		
1605	अतारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.153) दि. 30-11-2017 (श्री कैलाश चावला)	म.प्र. जन अभियान परिषद द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु चयनित स्वेच्छिक संगठनों के जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय संगठनों को पुरूस्कृत किया जाना ।	(1) जी हॉं । (2) कार्यवाही प्रचलित है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

दिनांक: 30-11-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1606	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.182) दि. 30-11-2017 (श्री निशंक कुमार जैन)	विदिशा जिले सहित समूचे प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पेयजल की व्यवस्था नलजल योजना एवं हैण्डपंप खनन हेतु पर्याप्त राशि दी जाना एवं ग्रामीण जल निगम के माध्यम से पेयजल की समस्त योजनाएं संचालित किया जाना।	**आसंदी से निर्देश :-** मेरा सुझाव सुन लें, पूरे प्रदेश में मैंने अध्ययन किया है। ग्राम पंचायतों को सरकार योजना बनाकर हैंडओवर कर देती है लेकिन ग्राम पंचायतें उनको चलाने में सक्षम नहीं होती हैं। उसके कई कारण हैं, उसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता. से ग्रामीण जल निगम बना हुआ है। ग्रामीण जल निगम, ग्रामीण क्षेत्र की जितनी नलजल योजनाएं हैं वह उनका संधारण करता है। उनके पास तकनीकी व्यक्ति होते हैं, अमला होता है ग्राम पंचायतें मिस्त्री के ऊपर निर्भर होते हैं। 5-6 पंचायतों के बीच में एक मिस्त्री होता है। ग्रामीण जल निगम से ही सभी योजनाओं का संधारण हो, इस पर भी सरकार विचार करें। **माननीय मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन :-** (1) मैं इन सबके यहां सरकार के आदेश की प्रतियां भिजवा दूंगा, जो कलेक्टर को भेजी गई हैं। (2) आप लोग सूची दे दें। प्रत्येक कलेक्टर को उसको चालू कराने के लिये पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध करा दी गई है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

वन विभाग

दिनांक: 30-11-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
1607	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.47 (प्रश्न क्रं.808) दि. 30-11-2017 (कुँवर विक्रम सिंह)	छतरपुर तहसील के तहत सूरजपुरा के खसरा नं. 120/2 रकबा 2.177 में किसान की भूमि पर किये कब्जे के संबंध में मा.मुख्यमंत्री जी म.प्र. शासन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को की गई शिकायत के संबंध में जांच एवं कार्यवाही।	शिकायत की जांच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देशित किया गया है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।		
1608	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.118 (प्रश्न क्रं.1584) दि. 30-11-2017 (श्री शैलेन्द्र जैन)	वन वृत्त सागर सहित प्रदेश के वन रक्षकों को नियुक्ति दिनांक से ग्रेड-पे रूपये 1900 का भुगतान किया जाना।	जी हॉं, वनरक्षकों को नियुक्ति दिनांक से ग्रेड पे रूपये 1900/- दिये जाने के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।		
1609	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.127 (प्रश्न क्रं.1680) दि. 30-11-2017 (श्रीमती शीला त्यागी)	मुकुन्दपुर सफेद बाघ सफारी जू रेस्क्यू सेंटर में प्रभारी अधिकारी सहायक संचालक को आहरण एवं संवितरण प्राधिकार पत्र जारी किया जाना।	प्रभारी अधिकारी सहायक संचालक को आहरण एवं संवितरण प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।		
1610	अतारांकित प्रश्न सं.111 (प्रश्न क्रं.1507) दि. 30-11-2017 (श्री आर.डी. प्रजापति)	छतरपुर जिले के ग्राम-गुढ़ा, रामपुरा, हरपुरा, पुरूबा, गरहा, पथरिया, मनोरखुर्द एवं रेपुरा में वन एवं राजस्व विवाद का समय-सीमा में निराकरण किया जाना।	शेष 08 ग्राम-गुढ़ा, रामपुरा, हरपुरा, पुरूवा, गरहा, पथरिया मनोरखुर्द एवं रैपुरा में वन एवं राजस्व सीमा विवाद के निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग | दिनांक: 30-11-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1611	अतारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.77) दि. 30-11-2017 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले के जावरा नगर स्थित बंद पड़ी शुगर मिल एवं मिल से संलग्न भूमि पर उद्योग स्थापित किये हेतु कार्यवाही की जाना।	(1) जी हाँ। (2) वर्तमान में डी.पी.आर. बनाई जा रही है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

दिनांक: 30-11-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1612	तारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.1532) दि. 30-11-2017 (श्री विष्णु खत्री)	भोपाल जिले के विधानसभा क्षेत्र बैरसिया के बांदीखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में जिन उद्यमियों/व्यक्तियों द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु प्रीमियम की राशि जमा कराई है, उन्हें भूखण्ड उपलब्ध कराया जाना।	औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा में भूखण्ड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है।		